न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 94/2017 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2017/00240**

1. माणक चंद
2. नागरमल

} पुत्र ठाकरसीदास जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

3 प्रकाश चंद्र दत्तक पुत्र बृजलाल पुत्र ठाकरसीदास जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

4 फतेह चंद
5 विनोद कुमार
6 सुशील
7. इन्द्रचंद

} पिसरान सम्पत लाल जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

8. विमला देवी पत्नी रूपचंद
9. धर्मेन्द्र पुत्र रूपचंद

} जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

10. जितेन्द्र
11. मुकेश

} पिसरान रूपचंद जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार कोलायत।
2. बक्कादेवी पत्नी सम्पतलाल (डिलीट आदेशिका दिनांक 07.10.2025)
3. विमल कुमार पुत्र ठाकेरसीदास जाति महाजन साकिन झझू तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
4. कंवरलाल पुत्र लक्ष्मी देवी पत्नी भींवराज जाति महाजन सेठिया, निवासी झझू तहसील कोलायत, जिला बीकानेर।

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू — अभिभाषक अपीलांट्स
श्री शेखरचन्द बैद — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 3
अनुपस्थित श्री रामचंद्र सिंह भाटी — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

निर्णय

दिनांक 30.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोंलायत के निर्णय दिनांक 11.06.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादगत भूमि ग्राम झझू तहसील कोलायत की खसरा नंबर 556 तादादी 21 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 475 तादादी 62 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 551 तादादी 57 बीघा 7 बिस्वा एवं खसरा नंबर 552 तादादी 23 बीघा 19 बिस्वा कुल तादादी 164 बीघा 19 बिस्वा खातेदारी कृषि भूमि अपीलांट्स के पूर्वज ठाकरसीदास के नाम दर्ज रिकॉर्ड रही है। जो ठाकरसीदास के देहावसान हो जाने के पश्चात सम्पतलाल, बृजलाल, रूपचंद, माणकचंद, नागरमल एव विमल कुमार पिसरान ठाकरसीदास के नाम नामांतरकरण संख्या 551 दिनांक 28.01.1970 को दर्ज हुआ। उक्त नामांतरकरण संख्या 551 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय में लक्ष्मीदेवी ने प्रस्तुत की। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत ने लक्ष्मीदेवी की अपील को स्वीकार कर नामांतरकरण संख्या 551 दिनांक 28.01.1970 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलयत के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2017 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि के संबंध में दर्ज किया गया नामांतरकरण संख्या 551 के विरूद्ध अपील लक्ष्मी देवी द्वारा दिनांक 11.04.2013 को प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 21.02.2016 को अपीलांट का देवावसान हो चुका था। जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय के रेस्पोडेन्ट संख्या 13 द्वारा दिनांक 07.04.2016 को दी जा चुकी थी जिस पर बिना कोई जवाब प्रस्तुत हुए, बिना जायज वारिसान को पक्षकार बनाये, बिना अपील का अबैंटमेंट सेट एसाईड किये अपीलाधीन आदेश अपीलांट की मृत्यु के 16 माह बाद मृत व्यक्ति के पक्ष में पारित किया जाने के कारण कानून की निगाह में नल एण्ड वॉयड है एवं नलीटी है। अदालत मातहत ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतः अंकित किया है कि "पक्षकारान उपस्थित नहीं, स्टेट की और से तहसीलदार उपस्थित" लिखते हुए मृत व्यक्ति के पक्ष में अपील अबैट हो जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश पारीत कर कानूनी भूल खाई है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध 40 वर्ष पश्चात अपील पेश होने के बावजूद बिना मियाद के बिन्दू पर कोई आदेश पारित किए अपीलाधीन आदेश पारित का कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पक्षकारान को सूचित किये पत्रावली को न्याय आपके द्वारा केम्प झझू में रखी जाकर एकतरफा आदेश पारित होने के कारण अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं हुई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2017 निरस्त फरमाया जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने अपनी बहस में कथन किया है कि उक्त वादगत भूमि ग्राम झझू के गत खसरा नंबर 556, 475, 551, 552 की कुल तादादी 164 बीघा कृषि भूमि थी जो वर्तमान खसरा नंबर 1570 1571, 1576 की कुल तादादी 25.90 हैक्टयर में दौराने भू–प्रबंध फिट की गई थी। उक्त भूमि ठाकुरदास पुत्र मोहनलाल के नाम थी जो विरास्तन संपतलाल, बृजलाल रूपचंद, माणकचन्द, नागरमल, विमलचन्द के नाम दर्ज अभिलेख हुई है। उक्त इंतकाल के विरूद्ध लक्ष्मी देवी ने न्यायालय एसडीओ कोलायत के समक्ष अपील पेश की जो दिनांक 11.06.2017 स्वीकार हुई। जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील पेश की है। प्रार्थी लक्ष्मी देवी पुत्री ठाकुरदास का पुत्र है तथा लक्ष्मी देवी ने अपने जीवनकाल में दिनांक 29.10.2015 को अपनी तमाम चल अचल संपति प्रार्थी के पक्ष में वसीयत की व दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 29.10.2015 को श्रीमान उपपंजीयक कोलायत के समक्ष निष्पादित व पंजीबद्ध कराया है। प्रार्थी को लक्ष्मी देवी के धारण की संपति में हक अधिकार हासिल हुवे। लक्ष्मी देवी का देहान्त हो चुका है। वादगत भूमि को लेकर अपीलार्थीगण व प्रार्थी के मध्य विवाद हुआ था जो पंच पंचायती से समाप्त हो चुका है। पंच पंचायती से हुए पारिवारिक समझौता अनुसार प्रार्थी ने वादगत भूमि में निहित अपने हक अधिकारों को अपीलार्थीगण के पक्ष में तर्क तक दिया है। इस प्रकार वादगत भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही रहने से अपील स्वीकार किये जाने पर प्रार्थी की पुर्ण सहमति है व कोई उज्र ऐतराज नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने अपने आदेश दिनांक 11.06.2017 द्वारा इंतकाल संख्या 551 को निरस्त करते हुए अपील को तहसीलदार कोलायत को रिमाण्ड कर दी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने अपीलाधीन आदेश में स्पष्टतः अंकित किया गया है कि ''पक्षकारान उपस्थित नहीं, स्टेट की और से तहसीलदार उपस्थित'' जिससे साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने बिना अपीलांट के उपस्थिति के आदेश पारित किया है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 4 संख्या ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि पारिवारिक समझौता के अनुसार रेस्पोडेन्ट संख्या 4 ने वादगत भूमि में अपने निहित हक अधिकार अपीलांट्स के पक्ष में कर दिए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत ने अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध 40 वर्ष पश्चात अपील पेश होने के बावजूद बिना मियाद के बिन्दू पर कोई आदेश पारित किए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जो नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.06.2017 को निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत को उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 30.12.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर